

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4529]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2018/कार्तिक 24, 1940

No. 4529]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018/KARTIKA 24, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018

का.आ. 5748(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में NH 709A के कि.मी. 26.65 से कि.मी. 90 (हरियाणा बॉर्डर-शामली-बुढाना-मेरठ खण्ड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (फाइनैस / रेवेन्यू) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में NH 709A के कि.मी. 26.65 से कि.मी.90(हरियाणा बॉर्डर-शामली-बुढाना-मेरठ खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: मुज़फ्फरनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बुढाना					
गांव का नाम: बिटवादा					
1	116	सरकारी(खाद के गढे)	खाद के गढे	0.0697(हेक्टेयर)	0.0697
2	117	सरकारी(गवर्नमेंट)	रोड	0.0224(हेक्टेयर)	0.0224
3	163	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.1085(हेक्टेयर)	0.1085
4	164	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.1117(हेक्टेयर)	0.1117
5	165	सरकारी(गवर्नमेंट)	नाली	0.0111(हेक्टेयर)	0.0111
6	173	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0456(हेक्टेयर)	0.0456
7	174	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0507(हेक्टेयर)	0.0507
8	175	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0057(हेक्टेयर)	0.0057
9	179	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0657(हेक्टेयर)	0.0657
10	180	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0625(हेक्टेयर)	0.0625
11	181	सरकारी(गवर्नमेंट)	रोड	0.0044(हेक्टेयर)	0.0044
12	2	सरकारी(समसान)	समसान	0.0013(हेक्टेयर)	0.0013
13	230	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0136(हेक्टेयर)	0.0136
14	231	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0283(हेक्टेयर)	0.0283
15	232	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0827(हेक्टेयर)	0.0827
16	233	सरकारी(गवर्नमेंट)	रोड	0.0022(हेक्टेयर)	0.0022
17	235	अन्य(एग्रीकल्चर / नाँन	एग्रीकल्चर / नाँन	0.0051(हेक्टेयर)	0.0051

		एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर		
18	236	निजी(प्राइवेट)	एग्रीकल्चर	0.0113(हेक्टेयर)	0.0113
19	237	सरकारी(गवर्नमेंट)	नाली	0.0145(हेक्टेयर)	0.0145
20	262	सरकारी(नल कूप)	नल कूप	0.0062(हेक्टेयर)	0.0062
गांव का नाम: फुगाना					
1	1953	सरकारी(गुल)	गुल	0.0142(हेक्टेयर)	0.0142
2	1954	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.2691(हेक्टेयर)	0.2691
3	1955	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.041(हेक्टेयर)	0.041
गांव का नाम: जौला					
1	1105	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.0151(हेक्टेयर)	0.0151
2	1106	सरकारी(गवर्नमेंट)	रोड	0.0134(हेक्टेयर)	0.0134
3	1108	सरकारी(गवर्नमेंट)	नॉन एग्रीकल्चर	0.015(हेक्टेयर)	0.015
4	1110	सरकारी(आबादी)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0174(हेक्टेयर)	0.0174
5	1111	सरकारी(गवर्नमेंट)	इरीगेशन	0.042(हेक्टेयर)	0.042
6	1112	सरकारी(गवर्नमेंट)	इरीगेशन	0.3679(हेक्टेयर)	0.3679
7	1113	सरकारी(तकिया)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0839(हेक्टेयर)	0.0839
8	1114	सरकारी(आबादी)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0174(हेक्टेयर)	0.0174
9	1188	निजी(प्राइवेट)	प्राइवेट	0.0143(हेक्टेयर)	0.0143
10	1189	सरकारी(गवर्नमेंट)	खलियान	0.0968(हेक्टेयर)	0.0968
11	1190	सरकारी(आबादी)	नॉन एग्रीकल्चर	0.1022(हेक्टेयर)	0.1022
12	1191	सरकारी(बंजर भूमि / रोड)	बंजर भूमि / रोड	0.0916(हेक्टेयर)	0.0916
गांव का नाम: सठेडी					
1	343	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.0139(हेक्टेयर)	0.0139
2	344	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.032(हेक्टेयर)	0.032
3	345	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.0791(हेक्टेयर)	0.0791
4	346	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.0811(हेक्टेयर)	0.0811
5	362	सरकारी(एग्रीकल्चर)	रोड	0.0124(हेक्टेयर)	0.0124

6	400	निजी(एग्रीकल्चर)	एग्रीकल्चर	0.132(हेक्टेयर)	0.132
7	403	सरकारी(एग्रीकल्चर)	रोड	0.0053(हेक्टेयर)	0.0053
कुल				2.2803	2.2803

[फा. सं. NHAI/PIU-BPT/1011(K-S-M)/2018/3A3]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th November, 2018

S.O. 5748(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 709A in the stretch of land from Km. 26.65 to Km. 90 (Haryana Border-Shamli-Budhana-Meerut section) in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Finance / Revenue) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 709 A in the stretch of land from NH 709 A (Haryana Border-Shamli-budhana-Meerut section) in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH		District: MUZAFFARNAGAR			
Sl. no.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Budhana					
Village: Bitaoda					
1	116	Government(khaad ke ghadhe)	khaad ke ghadhe	0.0697(Hectare)	0.0697
2	117	Government	Road	0.0224(Hectare)	0.0224
3	163	Private	Agriculture	0.1085(Hectare)	0.1085
4	164	Private	Agriculture	0.1117(Hectare)	0.1117
5	165	Government	Nali	0.0111(Hectare)	0.0111

6	173	Private	Agriculture	0.0456(Hectare)	0.0456
7	174	Private	Agriculture	0.0507(Hectare)	0.0507
8	175	Private	Agriculture	0.0057(Hectare)	0.0057
9	179	Private	Agriculture	0.0657(Hectare)	0.0657
10	180	Private	Agriculture	0.0625(Hectare)	0.0625
11	181	Government	Road	0.0044(Hectare)	0.0044
12	2	Government(samsan)	samsan	0.0013(Hectare)	0.0013
13	230	Private	Agriculture	0.0136(Hectare)	0.0136
14	231	Private	Agriculture	0.0283(Hectare)	0.0283
15	232	Private	Agriculture	0.0827(Hectare)	0.0827
16	233	Government	Road	0.0022(Hectare)	0.0022
17	235	Common(Agriculture / Non Agriculture)	Agriculture / Non Agriculture	0.0051(Hectare)	0.0051
18	236	Private	Agriculture	0.0113(Hectare)	0.0113
19	237	Government	Nali	0.0145(Hectare)	0.0145
20	262	Government(nal koop)	nal koop	0.0062(Hectare)	0.0062
illage: Fugana					
1	1953	Government(Gool)	gool	0.0142(Hectare)	0.0142
2	1954	Private(Agriculture)	Agriculture	0.2691(Hectare)	0.2691
3	1955	Private(Agriculture)	Agriculture	0.041(Hectare)	0.041
illage: Jaula					
1	1105	Private(Agriculture)	Agriculture	0.0151(Hectare)	0.0151
2	1106	Government	Road	0.0134(Hectare)	0.0134
3	1108	Government	Non Agriculture	0.015(Hectare)	0.015
4	1110	Government(Aabadi)	Non Agriculture	0.0174(Hectare)	0.0174
5	1111	Government	Irrigation	0.042(Hectare)	0.042
6	1112	Government	Irrigation	0.3679(Hectare)	0.3679
7	1113	Government(takiya)	Non Agriculture	0.0839(Hectare)	0.0839
8	1114	Government(Aabadi)	Non Agriculture	0.0174(Hectare)	0.0174
9	1188	Private	private	0.0143(Hectare)	0.0143
10	1189	Government	khaliyan	0.0968(Hectare)	0.0968

11	1190	Government(aabadi)	Non Agriculture	0.1022(Hectare)	0.1022
12	1191	Government(banjar bhumi / rode)	banjar bhumi / rode	0.0916(Hectare)	0.0916
Village: Satheri					
1	343	Private(Agriculture)	Agriculture	0.0139(Hectare)	0.0139
2	344	Private(Agriculture)	Agriculture	0.032(Hectare)	0.032
3	345	Private(Agriculture)	Agriculture	0.0791(Hectare)	0.0791
4	346	Private(Agriculture)	Agriculture	0.0811(Hectare)	0.0811
5	362	Government(non agriculture)	rode	0.0124(Hectare)	0.0124
6	400	Private(Agriculture)	Agriculture	0.132(Hectare)	0.132
7	403	Government(non agriculture)	rode	0.0053(Hectare)	0.0053
Total				2.2803	2.2803

[F. No. NHAI/ PIU-BPT/1011(K-S-M)/2018/3A3]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.